गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
4.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
8.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 ए.एस. रणदिवे

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम मापदण्ड के अंतर्गत निशक्त (दिव्यांगजन) व्यक्तियों की लिखित परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा निर्देश बाबत्।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अवलोकन किया कि प्रो0 रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के प्राप्त पत्र एफ.क्रमांक 6–2/2013 (एस सी टी) दिनांक 14 जनवरी, 2019 के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप क्रमांक 34–02/2015–डी–III दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा न्यूनतम मापदंड निशक्त (दिव्यांगजन) व्यक्तियों की लिखित परीक्षा आयोजित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया जाय एवं विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में उक्त निर्देशों के पालन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर परिपत्र जारी किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दिव्यांग जनों के लिए प्राप्त इन निर्देशों को प्रवेश सूचना के साथ भी विश्वविद्यालय वेब पटल पर जारी किया जाय।

विषय क्र. 03 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) में (प्रथम संशोधन) विनियम–2018 के संबंध में विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (एम. फिल/पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) में (प्रथम संशोधन) विनियम–2018 को अंगीकृत कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में जारी वी.आर.ई.टी. प्रवेश सूचना के लिए इस संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया जाय एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा प्रवेश में विनियम में उल्लेखित प्रावधानों का पालन किया जाय।

विषय क्र. 04 शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा एम.एससी. भौतिकी की शुल्क संरचना पर चाहे गये स्पष्टीकरण पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के शुल्क संरचना का निर्धारण व्यापक विचार विमर्श उपरान्त किया गया है। अतः अकादमी शाखा अनुमोदित शुल्क संरचना की जानकारी शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग को सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करा दे।

विषय क्र. 05 श्री खम्हनदास भास्कर के न्यूनतम रेसीडेंसी अवधि में छूट संबंधी आवेदन पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्री खम्हनदास भास्कर के रेसीडेंसी अवधि में छूट संबंधी आवेदन पर विभागीय शोध समिति उचित निर्णय ले सकती है एवं इसके लिए दिनांक 12.12.2017 के पूर्व किये गये शोध कार्यों हेतु उपस्थिति की पुष्टि तत्समय आबंटित शोध निर्देशक से करा लें एवं उक्त पुष्टि के उपरान्त वर्तमान शोध निर्देशक से उक्त कार्यों एवं उपस्थिति की पुष्टि एवं अनुशंसा प्राप्त कर लें। उपरोक्त कार्यवाही के साथ, इस विषय को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

विषय क्र. 06 डॉ0 एम.एच. ईशा, भौतिकी अध्ययनशाला, सैंग विश्वविद्यालय, मलेशिया के साथ अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान सहयोग कार्य बाबत्।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान सहयोग हेतु विभिन्न नियमन निकायों एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आवेदनकर्ता को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर सकते है।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष अनुमति प्रदान करने के पूर्व यह भी परिक्षण कर लें कि ऐसी अनुमति प्रदान करने से किसी नियम या दिशा निर्देश का उल्लंघन न हो तथा उक्त कार्य से विश्वविद्यालय में कोई वित्तीय भार न आये एवं न ही इंटलेक्चुवल प्रॉपर्टी अधिकार का उल्लंघन हो।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष अपने विभाग में स्थापित उपकरणों एवं एक्सिलिरेटर सेंटर में शिक्षकों/शोधार्थियों/विद्यार्थियों को किस प्रकार शोध कार्यों की अनुमति प्रदान की जा सकती है उसके लिए दिशा निर्देश/नीति का प्रारूप प्रस्तुत करें।

विषय क्र. 07 सी.बी.सी.एस. समिति की बैठक दिनांक 09.01.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सी.बी.सी.एस. प्रणाली के नोडल अधिकारी SEC के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे एवं उक्त पाठ्यक्रमों में से कौन–कौन से पाठ्यक्रम शैक्षणिक विभागों में संचालित किये जा सकते है, इसका निर्धारण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संबंधित अधिष्ठाता करेंगे।

विषय क्र. 08 नोडल ऑफिसर, MOOCs के प्रस्ताव पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढ़ाँचा) विनियम 2016 को अंगीकृत किया जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त विनियम में प्रावधानों के आधार पर विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जाय, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 से विनियम के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र में जैसे ही ऑन लाईन पाठ्यक्रमों की घोषण की जाती है, वैसे ही विभाग उक्त पाठ्यक्रमों में से अपने विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों के समरूप/सहगामी ऑन लाईन पाठ्यक्रमों को चिन्हित करेंगे एवं अपने विभाग के अध्ययन मण्डल से ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने संबंधी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक 1–8/2017 दिनांक 06.03.2019 के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से पत्र प्रेषित किया जाय–

1. विश्वविद्यालय ने सैद्धांतिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढ़ाँचा) विनियम 2016 को अंगीकृत कर लिया है तथा इस संबंध में अध्यादेशों में आवश्यक संसोधन करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 28.01.2018 से 58 SWAYAM पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र (सम सेमेस्टर) दिसम्बर 2018 में प्रारम्भ हो चुका है

अतः उक्त 58 पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना संभव नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 से उक्त SWAYAM पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास करेगा।

3. विश्विद्यालय का शैक्षणिक सत्र (विषम सेमेस्टर) प्रतिवर्ष जुलाई माह से प्रारम्भ होता है, अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध किया जाय कि आगामी पाठ्यक्रमों की घोषणा समय रहते किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के साथ ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सके।

विषय क्र. 09 विश्वविद्यालय में अक्षमता एवं पुनर्वास अध्ययन हेतु विभाग खोले जाने पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अक्षमता एवं पुनर्वास अध्ययन विभाग खोले जाने की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाय तथापि विभाग खोले जाने के पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नवीन विभाग खोले जाने हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लिया जाय।

विषय क्र. 10 शैक्षणिक सत्र 2019–20 में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी किये जाने प्रवेश सूचना के प्रारूप पर विचार।

स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिन्दुवार निम्नानुसार निर्णय लिया :–

01. विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (VET) आयोजन हेतु निम्नलिखित शहरों में परीक्षा केन्द्र बनायें जाये– बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर, इलाहाबाद (प्रयागराज), कोरबा, भुवनेश्वर, कलकत्ता, रायगढ़, गोंदिया, जबलपुर, रांची, पटना, राजनांदगांव एवं विशाखापटनम।

02. प्रवेश सूचना में एम.कॉम पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया जाय एवं सीट संख्या के लिए विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाय। विभागाध्यक्ष एवं संबंधित अधिष्ठाता सीट संख्या निर्धारण हेतु अधिकृत रहेंगे।

03. डिप्लोमा इन फ्रेंच एवं डिप्लोमा इन जर्मन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सूचना विश्वविद्यालय स्तर पर आंतरिक विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाय एवं विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों में से ही इच्छुक छात्रों को उक्त दोनों पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की जाय। प्रवेश प्रक्रिया एवं अर्हता का निर्धारण आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

04. आवेदकों से केवल ऑन लाईन पद्धति से ही आवेदन मंगाये जाये। बाह्य आवेदकों के परिसर में आकर ऑन लाईन आवेदन भरने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में सी.एस.आई. टी. विभाग एवं केन्द्रीय ग्रंथालय में व्यवस्था रहेगी।

05. प्रस्तावित आवेदन शुल्क का अनुमोदन किया जाता है।

06. प्रश्न पत्रों को द्विभाषी किये जाने का कार्य किया जाय।

07. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मिदवारों के लिए आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित सीट संख्या का अनुमोदन किया जाता है, आगामी सत्र में प्रवेश बढ़ी हुई सीटों

पर प्रदान किया जायेगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मिदवारों के आरक्षण संबंधी प्रावधान प्रवेश सूचना में अंकित कर दिये जायें।

08. एम.एससी. बायोटेक्नालॉजी के लिए प्रस्तावित अर्हता को अनुमोदित किया जाय।

09. परीक्षा में बैठ रहे परीक्षार्थियों को वितरित प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय में वापस जमा न कराया जाय, उन्हें परीक्षार्थियों को घर ले जाने की अनुमति दे दी जाय। आगामी VRET परीक्षा के प्रश्न पत्र भी परीक्षार्थियों को ले जाने दिया जाय।

10. बी.एससी. पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न पत्रों का पैटर्न निम्नानुसार रखा जाय।

बी.एससी.–एन्थ्रो, बायोटेक, बॉटनी, जुलॉजी के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न भौतिकी के 30 प्रश्न रसायन के एवं 40 प्रश्न जीव विज्ञान विषयों के होंगे।

बी.एससी.–भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न भौतिकी के 30 प्रश्न रसायन के एवं 40 प्रश्न गणित विषयों के होंगे।

बी.एससी.–फॉरेन्सिक, रसायन, बी.फॉर्म, डी फॉर्म के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न भौतिकी के 30 प्रश्न रसायन के एवं 20 प्रश्न जीव विज्ञान के एवं 20 प्रश्न गणित विषयों के होंगे।

बी.एससी.– वानिकी एवं बी.एससी–ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न भौतिकी के 30 प्रश्न रसायन के एवं 14 प्रश्न जीव विज्ञान के, 13 प्रश्न गणित के एवं 13 प्रश्न एग्रीकल्चर विषयों के होंगे।

11. विगत वर्ष जारी प्रवेश सूचना के आधार पर प्रस्तुत प्रस्तावित प्रवेश सूचना के शेष प्रावधानों एवं प्रवेश सूचना प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शैक्षणिक पदों हेतु रोस्टर निर्धारण विषयक।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय स्थगित रखा जाय।

विषय क्र. 12 अध्यादेश क्रमांक 44 में संशोधन विषयक।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रबंध अध्ययन विभाग के द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मान्य करते हुए अध्यादेश संशोधन संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 13 श्रीमती रीमा दत्ता के शोध अध्ययन संबंधी आवेदन पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि श्रीमती रीमा दत्ता से संबंधित प्रकरण पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली जाय एवं जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त विषय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 14 अंक–सूचियों के पृष्ठ भाग पर सीबीसीएस ग्रेडिंग सिस्टम संबंधित नियम छापे जाने बाबत्।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 15 **बी.एड. विशिष्ठ शिक्षा (श्र0वा0) के छात्र विकास बंजारे (प्रवेश सत्र 2017–18) के तृतीय सेमेस्टर के इन्टर्नशिप तथा आंतरिक परीक्षा के संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्र को चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की जाय एवं तृतीय सेमेस्टर के छुटे हुए आंतरिक एवं सत्रीय परीक्षाओं का आयोजन चतुर्थ सेमेस्टर के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि. क्र. 01 फार्मेसी विभाग द्वारा छात्र पुनित छाबड़ा के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संबंधित प्रकरण पर यथोचित अनुशंसा फार्मेसी विभाग के प्रवेश समिति स्कूल बोर्ड के माध्यम से लिया जाय। तदोपरान्त उक्त अनुशंसा विद्यापरिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**